Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
January to March 2025 E-Journal, Volume I, Issue XLIX, ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

किशोर न्याय बालकों की देख रेख और संरक्षण अधिनियम

भूमिका छापिया*

* शोधार्थी (विधि) मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर (राज.) भारत

शोध सारांश – यह लेख किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत करता है। इसमें अधिनियम के उद्देश्यों, मुख्य प्रावधानों, आँकड़ों के आधार पर इसके प्रभाव, और इसके क्रियान्वयन की चुनौतियों का अध्ययन किया गया है। लेख में भारतीय न्यायिक दृष्टिकोण और सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों के संदर्भ भी शामिल हैं। अंत में, बच्चों के संरक्षण और पुनर्वास के लिए कुछ महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए गए हैं।

शब्द कुंजी – किशोर न्याय, बाल संरक्षण, पुनर्वास, जघन्य अपराध, देखरेख, संरक्षण, पुन:समाजिकीकरण।

प्रस्तावना – भारत में बच्चों के अधिकारों की रक्षा और संरक्षण के लिए यह अधिनियम एक बड़ा कदम माना जाता है। 2000 का अधिनियम बच्चों की देखरेख और उनके कल्याण पर केंद्रित था। लेकिन जैसे-जैसे समाज में बदलाव आया, अपराध के स्वरूप में भी बदलाव हुआ। कुछ गंभीर और जघन्य अपराधों में किशोरों की भागीदारी बढ़ने लगी। उदाहरण के लिए, दिल्ली के 2012 के निर्भया कांड के बाद यह बहस तेज हुई कि 16-18 वर्ष के किशोरों के साथ किस तरह का व्यवहार किया जाए। पुराने कानून में सभी 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को समान माना जाता था और उनके खिलाफ कोई भी दंडात्मक कार्रवाई सुधारात्मक दृष्टि से होती थी। उन्हें वयस्क अपराधियों की तरह सजा नहीं दी जाती थी। लेकिन कुछ अपराधों में किशोरों की क्रूरता और अपराध की योजना बनाने की उनकी क्षमता ने समाज में चिंता पैदा कर दी। लोग यह सवाल पूछने लगे कि क्या सिर्फ उम्र के आधार पर उन्हें छूट मिलनी चाहिए? इसी पृष्ठभूमि में 2015 का अधिनियम बनाया गया। इसमें एक बड़ा बदलाव यह किया गया कि 16 से 18 वर्ष के किशोरों द्वारा किए गए जघन्य अपराधों के मामलों में यह जांच की जा सकती है कि उस किशोर की मानसिक और शारीरिक परिपक्वता (Maturity) क्या है। अगर किशोर इतना परिपक्व पाया जाता है कि वह अपराध के परिणाम समझ सकता था, तो उस पर वयस्क के तौर पर मुकदमा चलाया जा सकता है।

अधिनियम का उद्देश्य केवल दंड देना नहीं है। इसका असली लक्ष्य यह है कि अपराध करने वाले बच्चे को समाज से काटा न जाए बल्कि उसे सुधारा जाए, उसका पुनर्वास किया जाए और उसे दोबारा समाज में जिम्मेदार नागरिक बनाया जाए। इसके लिए अधिनियम में कई तरह की व्यवस्थाएँ की गई हैं - जैसे किशोर न्याय बोर्ड (Juvenile Justice Board) और बाल कल्याण समिति (Child Welfare Committee) की स्थापना।

किशोर न्याय बोर्ड का काम यह तय करना है कि बच्चे के खिलाफ मामला कैसे चलेगा। अगर यह पाया जाए कि बच्चा जघन्य अपराध में शामिल है, तो उसकी मानसिक परिपक्वता की जांच होगी। बोर्ड यह देखेगा कि क्या वह यह समझ सकता था कि उसने क्या किया है और उसके परिणाम क्या होंगे।

बाल कल्याण समिति (Child Welfare Committee) उन बच्चों के मामलों को देखती है जिन्हें देखरेख और संरक्षण की जरूरत होती है। इसमें अनाथ, परित्यक्त, या शोषण का शिकार बच्चे शामिल होते हैं। समिति का काम ऐसे बच्चों को संरक्षण देना, उन्हें आश्रय देना और उनके पुनर्वास की व्यवस्था करना है।

इस अधिनियम में दत्तक ग्रहण (Adoption) के मामलों को भी सुव्यवस्थित करने के प्रावधान हैं। पहले दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया बहुत जटिल थी और इसमें समय लगता था। इस अधिनियम के तहत केंद्रीय दत्तक ग्रहण प्राधिकरण (Child Adoption Resource Authority) को और सशक्त बनाया गया। इसका उद्देश्य दत्तक ग्रहण प्रक्रिया को पारदर्शी और सरल बनाना है ताकि अधिक से अधिक बच्चों को स्थायी परिवार मिल सके। 2015 के अधिनियम की एक और विशेषता यह है कि इसमें बच्चों के खिलाफ हिंसा, यौन शोषण, तस्करी, और बाल मजदूरी जैसे अपराधों के खिलाफ सख्त प्रावधान हैं। यह सुनिश्चित किया गया है कि ऐसे बच्चों को बचाया जाए और उन्हें काउंसलिंग, शिक्षा और पुनर्वास सेवाएँ दी जाएँ।

इस अधिनियम के बनने के पीछे कई आँकड़े और तथ्य भी थे। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के आंकड़ों के अनुसार, 2014 में जघन्य अपराधों में 16-18 वर्ष के किशोरों की भागीदारी बढ़ रही थी। इसलिए, संसद ने यह माना कि इस आयु वर्ग में ऐसे मामलों की विशेष जांच की जरूरत है। NCRB के ताजा आँकड़े यह भी बताते हैं कि 2015 के बाद से किशोर अपराध दर में थोड़ी गिरावट भी आई है, लेकिन जघन्य अपराधों में किशोरों की संलिप्तता चिंता का विषय बनी हुई है, इस कानून की आलोचना भी हुई है। कई बाल अधिकार कार्यकर्ताओं का कहना है कि यह अधिनियम किशोरों के सुधार के बजाय उन्हें कठोर दंडात्मक व्यवस्था में डाल सकता है। उनका तर्क है कि किशोरों की सोच और निर्णय लेने की क्षमता अभी पूरी तरह विकसित नहीं होती। ऐसे में उन्हें वयस्क अपराधियों की तरह देखना

सही नहीं है। 2015 के अधिनियम में इन निर्णयों का सम्मान करते हुए व्यवस्था की गई कि जघन्य अपराध में शामिल किशोर की मानसिक परिपक्वता का आकलन विशेषज्ञों द्वारा किया जाएगा। यह सुनिश्चित किया गया कि हर मामला अलग से देखा जाए और केवल गंभीर अपराधों में ही वयस्क न्याय प्रणाली लागू हो। इस अधिनियम का उद्देश्य यह मानना है कि हर बच्चा सुधार योग्य है। कानून यह मानता है कि यदि सही माहौल और संसाधन दिए जाएँ, तो बच्चे अपनी गलतियों से सीख सकते हैं और समाज में उपयोगी नागरिक बन सकते हैं। इसलिए अधिनियम में किशोरों के लिए विशेष सुधार गृहों, पुनर्वास केंद्रों और काउंसलिंग सेवाओं का भी प्रावधान है। इसके अलावा, अधिनियम यह सुनिश्चित करता है कि बच्चे को गिरफ्तारी के समय उसके अधिकारों के बारे में बताया जाए और उसे सम्मानजनक व्यवहार मिले। अधिनियम में यह भी प्रावधान है कि बच्चे को हिरासत में रखने की बजाय उसे परिवार या देखरेख संस्थान में रखा जाए। अदालतों और पुलिस को निर्देश दिए गए हैं कि बच्चों के मामलों में उनकी उम्र और मानसिक स्थिति का विशेष ध्यान रखा जाए। इस अधिनियम में बच्चों की आवाज को भी महत्व दिया गया है। किशोर न्याय बोर्ड और बाल कल्याण समितियों को यह सुनिश्चित करना होता है कि बच्चे की राय और उसकी इच्छाओं को सुना जाए और उसे निर्णय प्रक्रिया में शामिल किया जाए। इस कानून के बेहतर क्रियान्वयन के लिए जरूरी है कि राज्यों के बीच बेहतर समन्वय हो। किशोर न्याय बोर्डों और बाल कल्याण समितियों के सदस्यों के लिए विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था हो। सुधार गृहों की स्थिति सुधारी जाए और बच्चों के लिए शिक्षा और मनोवैज्ञानिक परामर्श सेवाओं की व्यवस्था की जाए।

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 भारतीय विधिक व्यवस्था में बच्चों के लिए एक प्रगतिशील और मानवीय दृष्टिकोण को दर्शाता है। यह दंड के बजाय सुधार और पुनर्वास पर केंद्रित है। यह समाज की जिम्मेदारी तय करता है कि वह भटके हुए बच्चों को वापस मुख्य धारा में शामिल करे और उन्हें एक सुरक्षित, सम्मानजनक और संभावनाओं से भरा जीवन दे। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2014 में किशोरों द्वारा किए गए जघन्य अपराधों में वृद्धि देखी गई थी। भारत में 16 से 18 वर्ष के किशोरों की एक ऐसी श्रेणी है जो जीवन के संक्रमण काल से गुजर रही होती है। यह उम्र बच्चों और वयस्क के बीच की होती है जिसमें व्यक्तित्व विकास, सामाजिक और नैतिक समझ, और भावनात्मक स्थिरता अभी पूरी तरह से विकसित नहीं होती।

2014 के आंकड़ों ने यह चिंताजनक तस्वीर सामने रखी कि गंभीर अपराध जैसे हत्या, बलात्कार, डकैती और संगठित अपराधों में भी किशोरों की भागीदारी बढ़ने लगी थी। इन अपराधों की योजना बनाने, उसे अंजाम देने और उसके बाद अपराध छुपाने की क्षमताओं में भी वृद्धि देखी गई। इससे यह सवाल उठा कि क्या केवल सुधारात्मक दृष्टिकोण ही पर्याप्त है, या कुछ मामलों में किशोरों के लिए भी वयस्क जैसी न्यायिक प्रक्रिया की आवश्यकता है। इसी सामाजिक और कानूनी चुनौती के जवाब में भारत सरकार ने किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 बनाया। यह अधिनियम पुराने किशोर न्याय अधिनियम, 2000 को संशोधित और प्रतिस्थापित करता है। इसका मुख्य उद्देश्य बच्चों के अधिकारों की रक्षा करते हुए उन मामलों के लिए एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाना है जहाँ किशोरों की अपराध में गंभीर भागीदारी पाई जाती है। 2015 के अधिनियम की सबसे चर्चित विशेषता यह है कि इसमें 16 से 18 वर्ष के किशोरों द्वारा किए गए जघन्य अपराधों के मामलों में न्यायालय को यह अधिकार दिया गया है कि वह किशोर की मानसिक और शारीरिक परिपक्वता का आकलन करे। इसका मतलब यह हुआ कि अगर कोई किशोर 16–18 वर्ष का है और उसने ऐसा अपराध किया है जो जघन्य श्रेणी में आता है (जैसे हत्या या बलात्कार), तो अदालत यह देखेगी कि क्या वह अपराध की प्रकृति और परिणामों को समझने में सक्षम था। यदि यह पाया जाता है कि किशोर ने पूरी योजना के साथ, सोच–समझकर अपराध किया और उसके परिणामों को समझ सकता था, तो उसे वयस्क न्याय प्रक्रिया के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है। यह प्रावधान इस आलोचना का जवाब था कि कुछ किशोर अपनी उम्र का फायदा उठाकर गंभीर अपराध कर लेते हैं और सुधार गृह में कम सजा पाकर बच निकलते हैं।

2015 के अधिनियम की अन्य प्रमुख विशेषताएँ इस प्रकार हैं:

1. किशोर न्याय बोर्ड (Juvenile Justice Board) और बाल कल्याण समितियों (Child Welfare Committee) की स्थापना। किशोर न्याय बोर्ड अपराध में संलिप्त बच्चों के मामलों की सुनवाई करता है जबकि बाल कल्याण समितियाँ उन बच्चों के मामलों को देखती हैं जिन्हें देखरेख और संरक्षण की जरूरत है।
2. देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के लिए पुनर्वास योजनाएँ। इसमें अनाथ, परित्यक्त, तस्करी का शिकार, या शोषित बच्चों के लिए विशेष देखभाल, आश्रय, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं और काउंसलिंग की व्यवस्था शामिल है।
3. दत्तक ग्रहण प्रक्रिया का सरलीकरण और विनियमन। केंद्रीय दत्तक ग्रहण प्राधिकरण (CARA) को अधिक सशक्त बनाया गया ताकि अनाथ और परित्यक्त बच्चों को स्थायी परिवार उपलब्ध कराने की प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और त्वरित हो सके।
4. विशेष प्रावधान जैसे बाल तस्करी, यौन शोषण और बाल विवाह से सुरक्षा। यह अधिनियम बच्चों को ऐसे अपराधों से बचाने के लिए सख्त कानूनी प्रावधान करता है और पीड़ित बच्चों के पुनर्वास की जिम्मेदारी राज्य पर डालता है।

2015 के इस अधिनियम का उद्देश्य सिर्फ दंड देना नहीं है, बल्कि यह मानवीय दृष्टिकोण से बच्चों के सुधार, पुनर्वास और समाज में पुन:समाजिकीकरण को प्राथमिकता देता है। कानून यह मानता है कि बच्चों की सोच और समझ विकसित होने की प्रक्रिया में होती है और सही समय पर सही मार्गदर्शन और संसाधन मिलने पर वे अपराध के रास्ते से वापस आ सकते हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के 2021 के आंकड़े यह संकेत देते हैं कि किशोर अपराध दर में थोड़ी गिरावट आई है। यह इस बात का संकेत है कि सुधारात्मक और पुनर्वासात्मक दृष्टिकोण काम कर रहा है। लेकिन जघन्य अपराधों में किशोरों की संलिप्तता अभी भी एक गंभीर चिंता का विषय बनी हुई है। NCRB के आंकड़े यह भी दिखाते हैं कि इन अपराधों में अक्सर सामाजिक, आर्थिक और पारिवारिक कारण जुड़े होते हैं द जैसे गरीबी, शिक्षा की कमी, पारिवारिक हिंसा और सामुदायिक समर्थन का अभाव।

अधिनियम का उद्देश्य यह भी है कि किशोरों को केवल अपराधी के रूप में न देखा जाए, बल्कि उन परिस्थितियों को समझा जाए जिन्होंने उन्हें अपराध की ओर धकेला। इसके लिए अधिनियम में काउंसलिंग, पारिवारिक

पुनर्मिलन, शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण जैसी योजनाओं की व्यवस्था की गई है।

न्यायिक दृष्टिकोण – सुप्रीम कोर्ट ने डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी बनाम राजू, AIR 2014 SC 2140 में कहा कि किशोर न्याय अधिनियम एक कल्याणकारी विधान है जिसका उद्देश्य बच्चों को सजा देना या प्रतिशोध लेना नहीं है, बल्कि उनका सुधार और पुनर्वास करना है। अदालत ने स्पष्ट किया कि किशोर अवस्था में अपराध करने वाले बच्चों के साथ मानवीय दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए ताकि उन्हें समाज में फिर से जिम्मेदार और उपयोगी नागरिक के रूप में स्थापित किया जा सके। इसी तरह प्रताप सिंह बनाम राज्य झारखंड, AIR 2005SC2731 में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि किसी भी अभियुक्त की किशोरावस्था अपराध करते समय की उम्र के आधार पर तय की जाएगी। इसका मतलब यह है कि अपराध के समय अगर अभियुक्त की उम्र 18 वर्ष से कम थी, तो उसे किशोर माना जाएगा, चाहे मुकदमे के समय उसकी उम्र ज्यादा हो गई हो। यह फैसला यह सुनिश्चित करने के लिए था कि किशोरों को उनके कानूनी अधिकारों से वंचित न किया जाए और उनके साथ उचित न्याय हो। 2015 के किशोर न्याय अधिनियम ने इन फैसलों को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण संशोधन किए। इसमें यह प्रावधान जोड़ा गया कि 16 से 18 वर्ष के किशोरों द्वारा किए गए जघन्य अपराधों के मामलों में उनकी मानसिक और शारीरिक परिपक्वता का न्यायालय द्वारा आकलन किया जाएगा। न्यायालय यह देखेगा कि क्या किशोर यह समझने में सक्षम था कि उसका अपराध कितना गंभीर है और इसके क्या परिणाम हो सकते हैं। अगर अदालत यह पाती है कि किशोर की मानसिक परिपक्वता पर्याप्त थी, तो उसके खिलाफ वयस्क के तौर पर मुकदमा चलाया जा सकता है। यह संशोधन यह सुनिश्चित करता है कि गंभीर अपराध करने वाले किशोरों को पूरी तरह से छूट न मिले, लेकिन साथ ही उनके सुधार और पुनर्वास के अवसर भी बरकरार रहें। इस तरह कानून समाज की सुरक्षा और बच्चों के अधिकारों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करता है।

निष्कर्ष एवं सुझाव – किशोर न्याय अधिनियम, 2015 बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए एक प्रगतिशील और संवेदनशील कदम माना जाता है। यह कानून इस विचार पर आधारित है कि अपराध में शामिल किशोरों को केवल सजा देने के बजाय उनके सुधार और पुनर्वास को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इसका उद्देश्य बच्चों को एक अवसर देना है ताकि वे अपनी गलतियों से सीखकर समाज के जिम्मेदार सदस्य बन सकें, इस अधिनियम में यह भी प्रावधान है कि 16 से 18 वर्ष की आयु के किशोरों द्वारा किए गए जघन्य अपराधों में उनकी मानसिक परिपक्वता का आकलन करके उन्हें वयस्क न्याय व्यवस्था के अंतर्गत भी लाया जा सकता है। इस व्यवस्था पर कई बाल अधिकार कार्यकर्ताओं ने सवाल उठाए हैं। उनका तर्क है कि किशोरों की मानसिक परिपक्वता पूरी तरह विकसित नहीं होती, और वयस्कों जैसी सख्त सजा उनके सुधार की संभावनाओं को कम कर सकती है। इसके अलावा, सामाजिक पुन:समाजिकीकरण (Social Reintegration) की प्रक्रिया में कई चुनौतियाँ हैं। राज्यों के बीच संसाधनों की कमी और कार्यान्वयन में असमानता से बच्चों के पुनर्वास प्रयास प्रभावित होते हैं। कई जगह सुधार गृहों की स्थिति खराब है और वहां बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। प्रशिक्षित स्टाफ की कमी और मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव भी गंभीर समस्याएँ हैं।

इन चुनौतियों से निपटने के लिए कुछ महत्वपूर्ण सुझाव इस प्रकार हैं:

1. किशोर न्याय बोर्डों और बाल कल्याण समितियों के सदस्यों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएं ताकि वे बच्चों की मानसिक स्थिति, विकासात्मक जरूरतों और कानूनी प्रक्रियाओं को बेहतर तरीके से समझ सकें।
2. सुधार गृहों और देखरेख संस्थाओं में मानक सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। इसमें साफ-सफाई, पर्याप्त जगह, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और मनोरंजक गतिविधियों की व्यवस्था शामिल हो।
3. जघन्य अपराध में संलिप्त किशोरों के लिए वैकल्पिक पुनर्वास मॉडल विकसित किए जाएं। जैसे विशेष परामर्श कार्यक्रम, व्यावसायिक प्रशिक्षण और परिवार के साथ पुनर्स्थापन की योजना।
4. मनोवैज्ञानिक परामर्श और परिवार परामर्श सेवाओं का विस्तार किया जाए। बच्चों को अपराध के पीछे की मानसिक समस्याओं से उबरने में मदद देना और उनके परिवार को समझाना भी जरूरी है।
5. अधिनियम के प्रावधानों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्यों के बीच बेहतर समन्वय बनाया जाए। इसके लिए एक केंद्रीय निगरानी तंत्र भी बनाया जा सकता है जो यह सुनिश्चित करे कि सभी राज्यों में एक समान और उच्च स्तर की सेवाएं उपलब्ध हों।

इस तरह किशोर न्याय अधिनियम, 2015 के उद्देश्यों को और अधिक प्रभावी ढंग से प्राप्त किया जा सकता है, और बच्चों को एक सुरक्षित, सम्मानजनक और आशाजनक भविष्य दिया जा सकता है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची:-

1. भारत सरकार (2015), किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015, विधि एवं न्याय मंत्रालय।
2. राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, (2022) भारत में अपराध – 2021 सांख्यिकी, गृह मंत्रालय।
3. सुब्रमण्यम स्वामी बनाम राजू, AIR 2014 SC 2140
4. प्रताप सिंह बनाम राज्य झारखंड, AIR 2005SC2731
5. यूनिसेफ (2017), दक्षिण एशिया में किशोर न्याय: कानून के साथ संघर्ष में बच्चों के संरक्षण में सुधार, यूनिसेफ प्रकाशन।
6. श्रीवास्तव, वी. के (2018), भारत में किशोर न्याय: एक विश्लेषण। नई दिल्ली: ओरिएंट पब्लिशिंग।
7. सिंह, आर. (2020), भारत में बाल अधिकार और किशोर न्याय प्रणाली, सेज पब्लिकेशंस।

****